FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

मोवरराम बनाम इन्द्राराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा॰ अपील 111, 128 RLR Act नं. 39 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4/3/2020 को पेश हो। [signature] 25.2.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
4/3/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनु॰ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5:45 Pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/3/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.12.18 20:11:31 IS
Reason: SelfAttested

17/3/2020

प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगण अनुपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि शामलात आई हुई है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों पर जो पुरानी मेड़बन्दी हुई है वह आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पाता है, वक्त बोने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में काश्त कर लेते हैं जिससे पक्षकारान के बीच तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की पक्की मेड़बंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का मेड़बंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेड़बंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी का मेड़बंदी आवेदन स्वीकार किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार कापड़ु को कमीशनर एवं सम्बंधित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेड़बंदी मौके पर नियमानुसार कमीशनर शुल्क 500/- जमा करवाकर करें, पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली दर्ज फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
17/3/2020

(SDO)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:11:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

मांक / वाद / 2020 / 303 दिनांकः– 17.03.2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भंवराराम पुत्र चन्दाराम जाति मेघवाल निवासी भीमडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. इन्द्राराम पुत्र कुचटराम वगैरा निवासी ईशरामों का तला (भीमडा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 39/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा ईशरामों का तला पटवार हल्का भीमडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 335 रकबा 6.8037 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधिंत भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 304 to 308 दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी भीमडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भंवरराम
4. विप्रार्थीगण श्री इन्द्राराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

17.3.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:11:31 IST
Reason: SelfAttested